पढ़ना बढ़ना आन्दोलन

राजीव गांधी शिक्षा मिशन, मध्यप्रदेश

पढ़ना बढ़ना आन्दोलन

भूमिका:–

मध्यप्रदेश में सन् 90–91 से सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की शुरूआत हुई । वर्तमान वर्ष 99 में साक्षरता अभियान पूरे प्रदेश में और कुछ जिलों मे उत्तर साक्षरता व सतत शिक्षा के चरण में है। इसके माध्यम से समाज में शिक्षा व साक्षरता की मांग पैदा हुई है ।

म.प्र. में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 1.10 करोड़ एक बृहदाकार लक्ष्य प्रस्तुत करती है। हाल ही में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (NSSO) ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वर्ष 91 से 97 तक प्रदेश की साक्षरता दर में लगभग 11.8 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। इससे विदित होता है कि साक्षरता अभियान से कुछ हद तक साक्षरता स्तर पर असर हुआ है और समुदाय में साक्षर होने की प्रबल इच्छा है। फिर भी लक्ष्य के काफी बड़े हिस्से को प्रभावी तरीके से सम्बोधित करने के लिये यह जरूरी हो गया है कि साक्षरता रणनीति को पुनरीक्षित और सुदृढ़ किया जाये । इस पुनरीक्षण के निम्न महत्वपूर्ण आयाम होगें –

- समुदाय की अग्रणी व निर्णयात्मक भूमिका होगी जिससे समुदाय की मांग के आधार पर पढ़ने पढ़ाने का कार्य हो।
- पंचायतों की केन्दीय व सकारात्मक भूमिका होगी ताकि कियान्वयन,संचालन व प्रकिया में उनकी सहभागिता हो।
- प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाना ताकि साक्षरता कार्यक्रम Isolation (पृथक से) में अलग थलग रूप से न चलें तथा प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता के संरचनात्मक ढ़ाचें और संसाधनों को एकजाई कर सुदृढ़ किया जा सके ताकि निचले स्तर पर बेहतर समर्थन प्राप्त हो सके।
- पढ़ाने वाले गुरूजी को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना, उसके काम उसकी मेहनत और योगदान की मान्यता मिलना ताकि वह पढ़ने पढ़ाने का कार्य सतत रूप से उत्साह के साथ कर सके।
- अभियान का अधिक विकेन्द्रीकरण के साथ संचालित किया जाना ताकि साक्षरता कक्षा व गुरूजी को संगठनात्मक व अकादमिक सहयोग मिल सके।
- नवसाक्षरों के बेहतर व शतप्रतिशत मूल्यांकन की व्यवस्था की जाना ताकि उनकी साक्षरता दक्षता का गुणात्मक स्तर अच्छा हो सके ।

– इन मुद्दों पर साक्षरता रणनीति को सुदृढ करने के लिए मध्यप्रदेश में एक आधार तैयार हुआ है :–

- म0प्र0 में दूर–दराज के क्षेत्रों में शिक्षा गारंटी शालाएँ खोली गई है। अब म0प्र0 में प्रत्येक गॉव में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
- सभी स्तरों पर पंचायतों को व्यापक अधिकार दिये गये है। जिससे नीचे के (grass-root) स्तर पर लोगो की विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ी है।
- विकेन्द्रीकरण को और अधिक सशक्त बनाने के लिए जिला स्तर पर जिला सरकारों की स्थापना की गई है ।

इस आधार पर साक्षरता की रणनीति को सुदृढ़ किया गया है। नवीन रणनीति "**पढ़ना बढ़ना आन्दोलन**" के रूप में कियान्वित होगी ।

नवीन रणनीति– एक नजर में

इस आंदोलन का स्वरूप सक्रिय सामुदायिक सहभागिता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि सामाजिक हित के समान उद्धेश्य की पहचेान और उनकी पूर्ति के लिये संगठनात्मक तरीके से काम करने की प्रकिया सामुदायिक भावना को सार्थक रूप से अभिव्यक्त और सुदृढ़ करती है।

यह सामूहिक संगठनात्मक किया इस आन्दोलन का मूल आधार है । यह आंदोलन पढने–लिखने के इच्छुक निरक्षर व्यक्तियों को एक निष्क्रिय संख्यात्मक लक्ष्य की तरह न देखकर उनके स्वंय के विकास की इच्छा को काम के हेतु के रूप में देखती है । इस रणनीति में पढ़ने–लिखने के इच्छुक निरक्षर व्यक्ति अपनी साक्षरता के लिये सक्रिय अभिकर्ता माने गये है । इस आन्दोलन में इस सकियता को उभारने और व्यक्त करने के लिये इच्छुक लोगों को संगठित होने का अवसर देने पर बल दिया गया है ।

- इस आन्दोलन में पढ़ने लिखने के इच्छुक निरक्षर व्यक्ति मिलकर एक समिति का गठन करेंगे। जिसे पढ़ना बढ़ना समिति कहा जायेगा,पूर्व से अन्य उद्देश्यों के लिए गठित समूह भी पढ़ना बढ़ना समिति के रूप में कार्य कर सकते है।
- यह समिति समुदाय में से कम से कम आठवी पास स्थानीय व्यक्ति को पढ़ाने के काम की जिम्मेदारी देगी जिसे गुरूजी कहा जायेगा। कोई भी योग्य शिक्षित व्यक्ति (कम से कम आठवी पास) गुरूजी हो सकता है जिसमें शिक्षा गांरटी शाला का गुरूजी, शिक्षक, पूर्व साक्षरता कर्मी, सेवानिवृत्त व्यक्ति या कोई भी मैदानी कार्यकर्ता, नवयुवक युवती सम्मिलित हैं , हो सकता है।
- यह समिति अपने सदस्यों व गुरूजी के नाम सहित पढ़ने लिखने की व्यवस्था की मांग सादे कागज पर निरक्षर व्यक्तियों के नाम ,उम्र व गुरूजी के नाम सहित संकुल स्तर के जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी को देगी तथा वार्ड समिति/ शाला प्रबंध समिति/ग्राम शिक्षा समिति को भी सूचना देगी। इसके पीछे भाव यह है कि लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करें कि वे साक्षरता की मॉग कर सकते है तथा अपना गुरूजी चुन सकते है।
- जन शिक्षा केन्द्र (संकुल स्तर) टीम के माध्यम से मांग का परीक्षण करेंगे । मांग उचित पाये ज़ाने पर जनशिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत आने वाली सभी पंचायतों की बैठक में इसे स्वीकार किया जायेगा।
- जन शिक्षा केन्द्र मॉंग स्वीकृति की सूचना ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित गुरूजी तथा जनपद शिक्षा केन्द्र को देगा,साथ ही इसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा केन्द्र को देगा।
- जिला शिक्षा केन्द्र चयनित गुरूजी के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही साक्षरता सामग्री व मूल्याकंन की व्यवस्था करेगा।
- साक्षरता कार्यक्रम के 3 चरणों के अनुरूप ही प्रशिक्षण होगा ।
- गुरूजी पढ़ना बढ़ना समिति के सदस्यों को एक वर्ष की अवधि मे साक्षर करेगा।
- पढ़ना–पढाने की प्रकिया का सतत मूल्यांकन स्वयं गुरूजी करेंगे। जो कि प्रवेशिका पढ़ाने की प्रकिया के साथ जुड़े होगे। प्रवेशिका–3 पढ़ने के पश्चात बाह्य मूल्यांकन किया जायेगा। यह बाह्य मूल्यांकन जिला

शिक्षा केन्द्र द्वारा किया जायेगा। इस बाह्य मूल्यांकन के लिये जिला शिक्षा केन्द्र उचित तकनीकी मार्गदर्शन हेतु मूल्यांकन प्रणाली एवं प्रकिया तैयार करेगा तथा इस मूल्यांकन के लिये अकादमिक स्त्रोत दल को तैयार करेगा। यह मूल्यांकन जिला शिक्षा केन्द्र की देख–रेख और मार्गदर्शन में जन शिक्षा केन्द्र के स्तर पर किया जायेगा। मूल्यांकन के आधार पर जो व्यक्ति साक्षर होगें, के आधार पर गुरूजी को प्रति साक्षर 100 रूपए के मान से गुरू दक्षिणा दी जायेगी। यह गुरू दक्षिणा की राशि राज्य शासन द्वारा प्रदास की जाएगी। इस राशि में नवसाक्षर व्यक्ति अपनी और से भी गुरू दक्षिणा के बतौर राशि अथवा सामग्री गुरूजी को दे सकते हैं। यह गुरू दक्षिणा नव साक्षर व्यक्ति स्वयं अपने गुरूजी को देंगे।

- यह गुरूदक्षिणा गुरूजी के कार्य की कीमत नहीं है बल्कि यह मात्र उसके सम्मान के लिए दी जा रही है। यह कार्य इससे कहीं अधिक महान है। यह कार्य राष्ट्र और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
- योजना की देख–रेख उपलब्ध स्त्रोतों के माध्यम से की जायेगी ।

नवीन रणनीति– विस्तृत विवरण

उद्देश्य :–

प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना अर्थात् पढ़ने लिखने एवं गणित की दक्षता में आत्मनिर्भर बनाना। तथा अपने व अपने परिवेश को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से पहल करने के लिए और अधिक सक्षम बनाना।

कियान्वयन की मुख्य ईकाईयॉं

प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता के संसाधनों के समस्त स्तरों पर एकीकरण के उद्देश्य से राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा मिशन का गठन किया गया है । यह प्रयास किया गया है कि शिक्षा से संबंधित समस्त इकाईयां एकजुट होकर काम करें । नवीन रणनीति में समस्त स्तरों पर प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के उपलब्ध संसाधनों व ऊर्जा को एकीकृत किया गया है । इन एकीकृत इकाईयों को इस रणनीति के कियान्वयन का प्रभार सौंपा गया है।

- प्रथम स्तर (ग्राम स्तर पर) – **पढ़ना बढ़ना समिति**
- द्वितीय स्तर– **ग्राम पंचायत**
- तृतीय स्तर(संकुल स्तर पर) –**जन शिक्षा केन्द्र** :– यह शाला प्रबंधन एवं ग्राम की साक्षरता कक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ईकाई होगी । प्रत्येक 10–12 गॉवों पर एक जन शिक्षा केन्द्र होगा । यह जन शिक्षा केन्द्र माध्यमिक शाला वाले गांव में होगा । यदि उस क्षेत्र में एक से अधिक माध्यमिक शालाएं है तो गांवों के बीच में अर्थात जहां से सभी शालाओ की दूरी लगभग समान हो वहां जन शिक्षा केन्द्र होगा । यह केन्द्र उस क्षेत्र के समस्त शिक्षकों / गुरूजियों के लिए आपस में चर्चा करने, अपने अनुभवों का आदान –प्रदास करने व शिक्षकों की सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा । इससे शालाओं व साक्षरता कक्षाओं को समय पर अकादमिक समर्थन मिलेगा तथा शाला प्रबंधन सुदृढ़ होगा । जन शिक्षा केन्द्र का प्रभारी उसी माध्यमिक शाला का शिक्षक होगा जहां जन शिक्षा केन्द्र खोला गया है।

जन शिक्षा केन्द्र में इसके अतिरिक्त एक वरिष्ठ अनुभवी शिक्षक होगा जिसे जन शिक्षक कहा जायेगा । जन शिक्षा केन्द्र अपने क्षेत्र में प्रारभिक शिक्षा व साक्षरता दोनों के लिए जवाबदार होगा ।

नोट– डी.पी.ई.पी. जिलों में पूर्व से ही संकुल केन्द्र स्थापित है जो अब जन शिक्षा केन्द्रों के नाम से जाने जायेगें । इन केन्द्रों को साक्षरता के संसाधनों से भी सुदृढ़ किया जायेगा । गैर डी.पी.ई.पी. जिलों में भी जन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जानी होगी । तात्कालिक रूप से इसकी शुरूआत 10–15 प्राथमिक/ई.जी.एस. शालाओं का संकुल बनाकर निकटतम प्राथमिक/माध्यमिक शाला को जन शिक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित कर उस शाला के प्रधानाध्यापक को जन शिक्षा प्रभारी के रूप में नामांकित कर की जाये ।

- चतुर्थ स्तर(जनपद स्तर पर) – **जनपद शिक्षा केन्द** – विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और विकासखंड स्त्रोत केन्द्र और साक्षरता का सविंलियत स्वरूप जनपद शिक्षा केन्द्र कहलाएगा । इसमें कार्यक्रम के प्रंबधकीय एवं अकादमिक दायित्वों का समन्वय होगा। इस केन्द्र का प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी होगा ।
- पंचम स्तर (जिला स्तर पर) – **जिला शिक्षा केन्द**– जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता के लिए कार्यरत ईकाईयों तथा उनके संसाधनों को एकीकृत किया जायेगा जिसे जिला शिक्षा केन्द्र का नाम दिया जायेगा । यह प्रारंभिक शिक्षा व साक्षरता के लिए प्रबंधकीय, वित्तीय एवं अकादमिक दायित्वो को निभायेगा । इसका प्रभारी जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा । कलेक्टर उपरोक्त समस्त कार्यो में मार्गदर्शन व समन्वय का कार्य करेगें।
- षष्टम स्तर(राज्य स्तर पर) – **राज्य शिक्षा मिशन**– प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता के लिए राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा मिशन होगा । यह संसाधनों को जुटाने, तकनीकी सहयोग, समन्वय, समीक्षा , नीतिगत विश्लेषण का कार्य करेगा।

प्रक्रिया

पढ़ना बढ़ना समिति का गठन

प्रत्येक ग्राम स्तर पर पढ़ना बढ़ना आन्दोलन के बारे में विस्तृत जानकारी एवं प्रेरणा देने के लिये प्रदेश भर में एक ही तारीख विशेष को " ग्राम सभा" का आयोजन किया जायेगा जिसमें इस योजना की जानकारी देकर "पढ़ना बढ़ना समिति" का गठन किया जायेगा । समिति के निरक्षर व्यक्तियों की आयु 15 से 50 वर्ष के बीच हो सकती है। पूर्व से किसी अन्य उद्देश्य के लिए संगठित एवं कार्यरत समूहों में यदि पढ़ने लिखने के इच्छुक निरक्षर व्यक्ति हैं तो यह समूह भी पढ़ना बढ़ना समिति के रूप में कार्य कर सकता है । शिक्षा ग्राम सभा के आयोजन में सरपंच, पंच एवं स्थानीय शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी । शिक्षा ग्राम सभा के आयोजन के लिये संबंधित ग्राम पंचायतें उत्तरदायी होगी । शिक्षा ग्राम सभा के आयोजन उपरान्त गठित "पढ़ना बढ़ना समिति" के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर हर ग्राम पंचायत जन शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करेगी ।

यह पढ़ना बढ़ना समितियां पढ़ना बढ़ना आन्दोलन में साक्षरता दक्षता प्राप्त करने के बाद सतत शिक्षा कार्यक्रम की और अग्रसर होंगी । और उसी के आधार पर सतत शिक्षा में सुदृढ़ रूप से प्रवेश करेंगी ताकि पढ़ना बढ़ना निरंतर जारी रहे।

गुरूजी का चयन

पढ़ना बढ़ना समिति द्वारा समुदाय में से किसी स्थानीय व्यक्ति को अपना गुरूजी चुन सकेगी। कोई भी योग्य स्थानीय शिक्षित व्यक्ति (कम से कम आठवी पास) गुरूजी हो सकता है जिसमें शिक्षा गांरटी शाला का गुरूजी, शिक्षक, पूर्व साक्षरता कर्मी, सेवानिवृत्त व्यक्ति या कोई भी मैदानी कार्यकर्ता, नवयुवक युवती सम्मिलित हैं, हो सकता है। ऐसे स्थान जहॉ आठवी पास व्यक्ति उपलब्ध न हो वहॉ पर इस शैक्षणिक योग्यता में जनशिक्षा केन्द्र द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिथिलता दी जा सकती है। पड़ाई की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लगभग 20–40 निरक्षरों के लिये एक गुरूजी का चयन किया जाये ।

पढ़ना बढ़ना समिति का मांग पत्र

- चयनित गुरूजी इस पढ़ना बढ़ना समिति के सदस्यों की जानकारी के साथ पढ़ने लिखने की व्यवस्था करने की मांग जन शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत करेगा ।
- मांग पत्र सादे कागज पर दिया जा सकता है जिसमें निरक्षर व्यक्तियों के नाम, उम्र,गुरूजी का नाम इत्यादि की जानकारी होगी। इस मांग पत्र का सुझावात्मक प्रारूप **परिशिष्ट अ** पर संलग्न है। मांग पत्र प्रारूप में न होने पर भी इस आधार पर अस्वीकृत नहीं की जायेगी कि वह प्रारूप में नहीं है सादे कागज पर दी गई जानकारी को भी मांग पत्र माना जायेगा।
- जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर यह मांग पत्र प्राप्त होने पर जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी इस मांग पत्र में उल्लेखित जानकारी का प्रमाणीकरण निम्नवत करवायेगा ।

  जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी सर्वप्रथम मांगपत्र मेंउल्लेखित निरक्षर व्यक्तियों के वास्तविक प्रमाणीकरण हेतु एक टीम गठित कर भेजेगा। इस टीम में निम्नानुसार व्यक्ति होगें।

  1. पास की प्राथमिक शाला का शिक्षक
  2. ग्राम शिक्षा समिति/शाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष–स्थानीय पंच/स्थानीय पार्षद
  3. स्थानीय शिक्षक/ गुरूजी
- जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी मांगपत्र प्राप्त होने के बाद 10 दिवस के भीतर अनिवार्यतः प्रमाणीकरण करवाएगा। टीम द्वारा मांग पत्र में उल्लेखित व्यक्ति वास्तव में निरक्षर है या नहीं इसकी जांच इसमें शामिल होगी।

मांगपत्र स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना

जांच उपरांत जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी निर्धारित प्रपत्र में वास्तविक स्थिति का प्रतिवेदन एक सप्ताह में जनपद शिक्षा केंद्र को सूचना देते हुए जिला शिक्षा केन्द्र को भेजेगा। साथ ही मांग स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना पढ़ना बढ़ना समिति व उसके द्वारा प्रस्तावित गुरूजी को देगा । यह सूचना (निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट'ब'**) जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर अनिवार्यतः दी जानी होगी।

मांग पत्र पर जिला स्तर की कार्यवाही–

- जिले स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामवार निरक्षरों की जानकारी तैयार की जायेगी। निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट'ब'** पर संलग्न हैं।

जिला शिक्षा केन्द्र,जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर गुरूजी के प्रशिक्षण तथा साक्षरता सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

पठन पाठन सामग्री

- पठन–पाठन हेतु वही सामग्री उपयोग में ली जायेगी जो संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान उपयोग की जाती रही है और जिसका विकास राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा किया गया है। इस पढन–पाठन सामग्री में सीखने की बेहतर गति और विषय.वस्तु (IPCL) में शिक्षार्थी द्वारा अपना मूल्यांकन स्वयं करने की व्यवस्था की गई है। जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों में आगे पढ़ने की प्रेरणा को बढ़ाना है।
- सीखने की बेहतर गति और विषय वस्तु के अंतर्गत 3– वर्गीकृत प्रवेशिकाओं का उपयोग किया जायेगा। इनमें से प्रत्येक प्रवेशिका साक्षरता के निश्चित स्तर के अनुरूप है। इस प्रवेशिका में अभ्यास के लिए जगह और लगातार शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए जॉच पत्रों की व्यवस्था भी है।
- निरक्षर व्यक्तियों को साक्षरता सामग्री के रूप में प्रवेशिका भाग–1,भाग–2 एवं भाग–3 दी जायेगी। स्लेट,पेंसिल इत्यादि की व्यवस्था भी की जायेगी। प्रवेशिका भाग–2 एवं 3 क्रमशः पूर्ववर्ती प्रवेशिकाओं को पूरा कर लेने के उपरान्त ही गुरूजियों को प्रशिक्षण के समय उपलब्ध कराई जायेगी ।
- गुरूजियों को भी यह शिक्षण सामग्री और संदर्शिका दी जायेगी।
- शिक्षण सामग्री प्रशिक्षण के लिए स्त्रोत व्यक्तियों,मास्टर ट्रेनर्स को भी दी जायेगी।
- सामग्री का मुद्रण व क्रय की जिम्मेदारी जिले की ही होगी।
- सामग्री का वितरण समयबद्व रूप से किया जायेगा। तथा प्रत्येक शिक्षार्थी को शिक्षण सामग्री का पूरा सेट दिया जायेगा।
- मांग पत्र के आधार पर आवश्यक सामग्री का क्रय /मुद्रण करने के पूर्व जिला साक्षरता समिति के पास उपलब्ध सामग्री को भी ध्यान में रखा जायेगा। पहले जिला साक्षरता समिति के पास उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जायेगा।

प्रशिक्षण

- गुरूजी को कुल 7 दिवस का प्रशिक्षण जन शिक्षा केन्द्र /जनपद शिक्षा केन्द्र स्तर पर दिया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में 3 दिवस का प्रशिक्षण तथा प्रवेशिका–1 के उपरांत 2 दिवस का व प्रवेशिका–2 के उपरांत 2 दिवस का प्रशिक्षण दिया जावेगा।
- गुरूजी के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना होगा :–
- 20 से 25 निरक्षर व्यक्तियों के लिए एक गुरूजी।
- प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र से दो शिक्षक – (मास्टर ट्रेनर्स)
- जिला स्तर की शैक्षिक/अकादमिक समिति के सदस्य(जिले के जनशिक्षा केन्द्रों की संख्या/मांग पत्र अनुसार गुरूजियों की संख्या के आधार पर)– (स्त्रोत व्यक्ति)

- जिला स्तर पर गठित जिला शैक्षिक समिति/स्त्रोत व्यक्तियों को राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा तथा जनशिक्षा केन्द्र के शिक्षकों को स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह शिक्षक गुरूजी को प्रशिक्षित करेंगे। सभी स्तरों पर कुल प्रशिक्षण 7 दिवस का होगा।
- प्रशिक्षण का कार्य प्रशिक्षकों के संख्या के आधार पर जिस स्तर पर भी सुविधाजनक हो वहाँ जिला संपन्न करा सकेगा। इस संबंध में आवश्यक राशि जिले स्तर से डाइट/प्रशिक्षण संस्था एडवांस के रूप में दी जायेगी। समस्त प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् संबंधित डाइट/प्रशिक्षण संस्था के द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित व्यय एवं वाउचर्स संधारित कर जिला केन्द्र को दिए जायेगें। जहाँ उनका समायोजन किया जायेगा।
- जिला साक्षरता समिति द्वारा पूर्व से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स का उपयोग भी किया जाना चाहिए। इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स का उन्मुखीकरण कर इनके द्वारा भी गुरूजी को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

साक्षरता कक्षा का आरंभ

- प्रशिक्षित गुरूजी प्रशिक्षण प्राप्त करने के 5 दिवस के भीतर अथवा प्रशिक्षण के समय दी गई तिथि से अनिवार्यतः साक्षरता कक्षा प्रारंभ करेगा।
- पढ़ाई का स्थान व समय का निर्धारण गुरूजी व पढ़ना बढ़ना समिति द्वारा आपसी सहमति से तय किया जायेगा।

प्रेरणा एवं अकादमिक समर्थन

- पढ़ना बढ़ना समिति के सदस्यों व गुरूजी का सतत मनोबल बढ़ाने, उन्हें प्रेरित करने,समर्थन देने व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जनशिक्षा केन्द्र के शिक्षकों,पंचायतों द्वारा जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर सहयोगी तरीके से एक रणनीति बनाई जायेगी। इसमें समय पर सामग्री उपलब्ध कराने,प्रशिक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध कराने,साक्षरता गतिविधियों को ठीक ढ़ंग से चलाने में मदद करना और समय पर जानकारी प्रदान करना सम्मिलित है।
- गुरूजी द्वारा संचालित साक्षरता कक्षा को नियमित रूप से समर्थन देने की जवाबदारी जिला शिक्षा केन्द्र,,जनपद शिक्षा केंद्र, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी तथा ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड समिति के सदस्यों की होगी। जनशिक्षा केन्द्र जनशिक्षक एवं साक्षरता में रूचि रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर सुविधाजनक एवं गुणात्मक दृष्टि से समन्वय का कार्य करेगा।
- प्रत्येक माह में कम से कम एक बार जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर समस्त गुरूजियों के साथ अनुभव आदान प्रदान,बैठक रखी जायेगी। जिसमें सहभागिता के आधार पर कठिनाईयों का उसी स्तर पर निराकरण का प्रयास किया जायेगा। जनशिक्षा केन्द्र प्रत्येक संपर्क सूत्र के माध्यम से साक्षरता कक्षाओं की जानकारी प्राप्त करेगें एवं प्रदान करेगें । जिससे समस्या का निराकरण संभव हो सके और सहयोगी तरीके से तैयार की गई रणनीति के आधार पर कार्यक्रम कियान्वयन किया जा सके।

- गुरूजी प्रतिमाह साक्षरता कक्षा में उपस्थित व्यक्तियों की पठन पाठन की स्थिति की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी को भेजेगा। प्रपत्र का प्रारूप **परिशिष्ट 'स'** पर संलग्न है।
- जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी संकलित प्रतिवेदन जनपद एवं जिला शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेगा।
- संकलित प्रतिवेदन जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा राज्य शिक्षा मिशन को भेजा जायेगा जिस पर प्रतिमाह मासिक समीक्षा बैठक में चर्चा की जायेगी। इसे संबंध में जन शिक्षा केन्द्र एवं उसके समन्वयक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। अपने क्षेत्र की समस्त साक्षरता कक्षाओं को आवश्यक समर्थन उनके द्वारा दिया जाना होगा।
- अकादमिक देख–रेख हेतु निम्नानुसार संरचनात्मक ढ़ांचा होगा।

गुरूजी

।

जनशिक्षा केन्द्र

।

जनपद शिक्षा केन्द्र

।

जिला शिक्षा केन्द्र

।

राज्य शिक्षा मिशन

मूल्यांकन

- साक्षरता कक्षा शुरू करने के पूर्व मांग पत्र का प्रमाणीकरण किया जायेगा कि उल्लेखित व्यक्ति वास्तव में निरक्षर है या नहीं।
- प्रवेशिकाओं में दिये गये जॉच पत्रों के माध्यम से गुरूजी एवं सीखने वालों का सतत मूल्यांकन होगा। संपूर्ण पठन पाठन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अन्तिम मूल्यांकन होगा ।
- सतत मूल्यांकन का कार्य गुरूजी द्वारा किया जायेगा । मूल्यांकन के समय ग्राम शिक्षा समिति अध्यक्ष/सदस्य/वार्ड समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे। सतत मूल्यांकन का कार्य जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्मित शैक्षिक/अकादमिक समिति तथा जन शिक्षा केन्द्र के मार्गदर्शन में गुरूजी द्वारा किया जायेगा।
- अंतिम मूल्याकंन का कार्य जिला शिक्षा केन्द्र का उत्तरदायित्व होगा ।
- यह मूल्यांकन एक निश्चित तिथि को किया जायेगा जो कि गतिविधि कलेन्डर के अनुरूप होगी ।
- अंतिम मूल्यांकन निर्धारित जांच पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। यह मूल्याकंन राज्य शिक्षा मिशन/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा तैयार मार्गदर्शिका अनुसार किया जायेगा।

- प्रत्येक मूल्यांकन में जाँच पत्र 100 अंकों का होगा जिसमें 40 अंक पढ़ने की योग्यता हेतु तथा 30 अंक लिखने की योग्यता हेतु व 30 अंक गणित की योग्यता हेतु रखे जायेगे। शिक्षार्थी द्वारा प्रत्येक दक्षता में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा कुल औसत 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही उसे सफल माना जायेगा।
- अन्तिम मूल्यांकन सेम्पल पद्धति से न करते हुए शत प्रतिशत नवसाक्षरों का मूल्यांकन होगा ।
- गुरूजी द्वारा निरक्षर व्यक्तियों के साक्षर हो जाने की सूचना जनशिक्षा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त होने पर जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जायेगा। इस मूल्यांकन के समय स्थानीय लोग भी उपस्थित रहेंगे।
- इस रणनीति के कियान्वयन के प्रथम चरण की अवधि एक वर्ष होगी । इस एक वर्ष के पूर्ण होने पर अन्तिम मूल्यांकन के पश्चात इस रणनीति की समीक्षा राज्य स्तर पर की जावेगी जिससे इसे परिष्कृत और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके । इस समीक्षा के आधार पर रणनीति का आगामी स्वरूप तय किया जावेगा जिससे इसके मूल उद्धेश्य– "कि सभी व्यक्ति साक्षर हो सके ", को पूरा किया जा सकेगा।

प्रत्येक मूल्यांकन के उपरांत टीम द्वारा प्रत्येक निरक्षर व्यक्ति द्वारा अर्जित योग्यता का रिकार्ड तैयार किया जायेगा। प्रारूप **परिशिष्ट 'द'** पर संलग्न है। यह रिकार्ड जनशिक्षा केन्द्र पर संधारित किया जायेगा।

उत्तरदायित्वों का समन्वय :–विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख कार्य

ग्राम स्तर पर –

- **गुरूजी को आठवी पास होना आवश्यक है**
- उसे गांव के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर होने के लिए तैयार करना होगा। साक्षर होने के लिए तैयार निरक्षर व्यक्तियों के समूह को **पढ़ना बढ़ना समिति** के नाम से जाना जायेगा। इसमें पूर्व से गठित एवं कार्यरत समूह भी हो सकते है।
- अगर साक्षर होने के लिए तैयार ये निरक्षर आपको गुरूजी बनाकर पढ़ने के लिए तैयार होते है तो इन निरक्षरों की सूची तैयार कर सादे कागज में मांग पत्र जन शिक्षा केन्द्र को भेजे जिस पर जन शिक्षा केन्द्र द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- यह सुनिश्चित करें कि आपके मांग पत्र की स्वीकृति अथवा निरस्त करने की सूचना 15 दिवस में आपको मिल जायेगी।
- यदि आपके यहाँ साक्षरता कक्षा आरंभ होने की सूचना मिलती है तो आपको विकासखंड स्तर पर 3+2+2 दिवस का प्रशिक्षण अनिवार्यतः लेना होगा,जिसकी व्यवस्था जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय करेगा।
- निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए सामग्री के रूप में किताबें निःशुल्क प्राप्त करें।
- साक्षरता कक्षा का समय व स्थान आप अपनी तथा पढ़ने वालों की सुविधानुसार तय करें।
- प्रशिक्षण प्राप्त करने के 5 दिवस में आपको साक्षरता कक्षा आरंभ करनी होगी।
- आपको साक्षरता कक्षा नियमित रूप से संचालित कर लगभग एक वर्ष में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करना होगा।

- प्रतिमाह पढ़ने वालों की प्रगति से जनशिक्षा केन्द्र को अवगत कराना होगा।
- समय–समय पर टीमों द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकनों में सहयोग करना होगा।
- अंतिम मूल्यांकन के बाद परिणाम प्राप्त होने पर आपके द्वारा साक्षर किए गए निरक्षर व्यक्तियों की संख्या के आधार पर आपको प्रति साक्षर 100 रू0 गुरू दक्षिणा के रूप में दिए जाएगें।

पंच/वार्ड मेम्बर (ग्राम पंचायत) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

- जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी स्तर से मांग प्रतिवेदन की जांच के समय ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को उपस्थित रहना होगा।
- साक्षरता कक्षा की नियमित रूप से देखरेख करना।
- गुरूजी की समस्याओं का समाधान करना।
  मूल्यांकन के समय समिति के सदस्य को उपस्थित रहना।

सरपंच ग्राम पंचायत की भूमिका

- साक्षरता कक्षाओं की नियमित देखरेख।
- ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड समिति/पढ़ना बढ़ना समिति को आवश्यक सहयोग देना।
- मांग पत्र सही पाये जाने पर संकुल पर आयोजित बैठक में भाग लेना तथा प्रस्ताव स्वीकृत कराना।

जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:–

- जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी मांग पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में मांग प्रतिवेदन की जांच करायेगा कि जिन लोगों की सूची प्रस्तुत की गई है,वे वास्तव में निरक्षर है या नहीं ।
- मांग पत्र सही पाये जाने पर जनशिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतो की बैठक आयोजित कर प्रस्ताव स्वीकृत कराना।
- जांच उपरान्त 5 दिवस में जिला व जनपद तथा पढ़ना बढ़ना समिति द्वारा प्रस्तावित गुरूजी को साक्षरता कक्षा खोलने की अनुशंसा या मांग पत्र निरस्त करने की सूचना देना।
- गुरूजी के प्रशिक्षण की व्यवस्था में सहयोग करना/प्रशिक्षण देना ।
- निरक्षर व्यक्तियों के लिए सामग्री का वितरण कराना ।
- गुरूजी से मासिक रूप से प्राप्त होने वाली जानकारी का परीक्षण कर उसे संकलित कर संकलित प्रतिवेदन जनपद तथा जिले को भिजवाना।
- गुरूजी की समस्याओं का समाधान करना। उसे अकादमिक सहयोग देना ।
- गुरूजी द्वारा संचालित साक्षरता कक्षा की नियमित मॉनिटरिंग करना।
- पठन–पाठन की प्रकिया में किए जाने वाले समस्त मूल्यांकन करवाना तथा जानकारी जिला व जनपद कार्यालय को भेजना।
- अंतिम मूल्यांकन में जिला स्तरीय टीम को सहयोग करना।

- मूल्यांकन में प्रत्येक निरक्षर व्यक्ति द्वारा अर्जित योग्यता का रेकार्ड रखना।
- आन्दोलन का प्रचार–प्रसार करना,गुरूजियों को प्रेरित करना।
- पढ़ना बढ़ना समिति के सदस्यों के साक्षर होने के उपरान्त नवसाक्षरों के माध्यम से गुरूजी को गुरूदक्षिणा का वितरण करवाना।
- गांव–गांव तक इस आन्दोलन का प्रचार–प्रसार करना एवं निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए गुरूजियों को तैयार करना ।
- पढ़ना बढ़ना आन्दोलन की देख–रेख, गुरूजियों के प्रशिक्षण ,नव साक्षरों के मूल्याकंन में सहयोग करना ।
- जनशिक्षा केन्द्र से आने वाली जानकारी का परीक्षण कर जिले को भेजना ।

जिला शिक्षा केन्द प्रभारी स्तर से की जाने वाली कार्यवाही:–

- जनशिक्षा केन्द्र स्तर से साक्षरता कक्षा खोलने की अनुशंसा प्राप्त होने पर 15 दिवस के अंदर गुरूजी के प्रशिक्षण तथा पढ़ाने की सामग्री उपलब्ध कराना।
- मासिक प्रगति से वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत कराना ।
- साक्षरता कक्षाओं की मॉनिटरिंग करना।
- समस्त मूल्यांकनों की व्यवस्था करवाना।
- अंतिम मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शन देना ।
- अंतिम मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर गुरूजी द्वारा साक्षर किए गए लोगों की संख्या के आधार पर प्रति साक्षर 100 रू0 के मान से जनशिक्षा केन्द्र को राशि प्रदान करना।

राज्य स्तर से की जाने वाली कार्यवाही

- शैक्षिक संसाधनों से संबंधित सहायता
- नियतकालीन निगरानी और समीक्षा
- समन्वय
- संदेशों को नीचे प्रसारित करना।

अधिक जानकारी के लिए कहॉ संपर्क किया जा सकता है– जिले के

– जिला शिक्षा केन्द्र
– जनपद शिक्षा केन्द्र
– जनशिक्षा केन्द्र
– ग्राम पंचायत से ।

समयावधि – प्रथम चरण –

प्रचार प्रसार

राज्य,जिले विकासखंड से ग्राम स्तर तक इस आन्दोलन का प्रचार प्रसार जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रचार प्रसार का उद्देश्य साक्षरता के पक्ष में माहौल बनाना तथा आन्दोलन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है,ताकि–

- समाज के शिक्षित वर्गो की भावना जाग सकें जिससे वे गुरूजी के रूप में अभियान में भाग ले सकें।
- निरक्षर व्यक्तियों को संगठित करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए साक्षरता की मांग कर सकें। प्रचार प्रसार का कार्य आंदोलन की पूरी अवधि में जारी रहेगा ताकि निरक्षर व्यक्ति व गुरूजी अभिप्रेरित होते रहे। प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकेगा।

गुरूदक्षिणा प्रदान करने की प्रक्रिया

जिला शिक्षा केन्द्र को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राज्य शासन द्वारा जनशिक्षा केन्द्र को 100 रू. प्रति व्यक्ति के मान से राशि प्रदान की जायेगी। इस राशि में पढ़ना बढ़ना समिति चाहे तो अपनी ओर से कोई राशि/सामग्री मिला सकती है । जनशिक्षा केन्द्र गुरूदक्षिणा प्रदान करने के लिए पढ़ना बढ़ना समिति,पंचायतों,ग्राम शिक्षा/वार्ड समिति के सहयोग से एक समारोह आयोजित करेगा। इस समारोह में पढ़ना बढ़ना समिति के नवसाक्षर सदस्य संबंधित गुरूजियों को गुरूदक्षिणा की राशि भेट करेगें । गुरूदक्षिणा पढ़ना बढ़ना समिति के नवसाक्षरों द्वारा भेट की जायेगी।

बजट प्रावधान

बजट की राशि बैंक में पृथक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत व कलेक्टर के संयुक्त खाते में रखी जावेगी। क्रियान्वयन हेतु बजट का प्रावधान जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

1. मांग पत्र के अनुसार कुल निरक्षर व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जिले को राशि प्रदान की जायेगी।
2. जिला स्तर पर साक्षरता सामग्री, मूल्याकनं की राशि रखी जायेगी। जिले से साक्षरता सामग्री क्रय कर जनशिक्षा केन्द्र की दी जावेगी। जो प्रशिक्षण में सामग्री वितरण करेंगें।
3. विकासखंड स्तर पर गुरूजी के प्रशिक्षण की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
4. साक्षर संख्या की सूचना का प्रमाणीकरण होने पर जिले से जन शिक्षा केन्द्र को गुरूजी की गुरूदक्षिणा की राशि प्रदान की जायेगी।

इकाई लागत

पढ़ना बढ़ना आन्दोलन के तहत एक व्यक्ति को साक्षर करने हेतु रू.138 की लागत होगी जिसका विवरण निम्नानुसार है।

गुरूजी की गुरूदक्षिणा	रू. 100
साक्षरता सामग्री	रू. 25
(प्राइमर इत्यादि)	
प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन	रू. 13
	138

प्रति व्यक्ति रू. 138 का व्यय

विवरण इस प्रकार है (प्रत्येक 20 निरक्षर के समूह हेतु)

गुरूजी प्रशिक्षण	7 X 22 =	रू. 154
मूल्यांकन सामग्री		106
		260

- **पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के बादः–**

वर्तमान साक्षरता अभियान के तीन चरणों के स्थान पर – नवीन रणनीति में पढ़ना बढ़ना आंदोलन व सतत शिक्षा अभियान का संचालन किया जावेगा। पढ़ना बढ़ना आंदोलन में नवसाक्षरों के मूल्यांकन के उपरांत सतत शिक्षा अभियान आरंभ किया जावेगा।

अभी तक संपूर्ण साक्षरता में साक्षर हुए नवसाक्षरों को उत्तर साक्षरता में संगठित करने का कार्य किया जाता था। पढ़ना बढ़ना आंदोलन में सम्पूर्ण साक्षरता व उत्तर साक्षरता के दृष्टिकोण व संसाधनों को भी एकीकृत किया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान में निरक्षरों को मोबिलाइज तो किया जाता था,किन्तु उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए संगठित करने का उद्देश्य नहीं रखा गया।

नवीन रणनीति इस सिद्वान्त पर आधारित है कि यदि पढ़ना–बढ़ना समिति के रूप में आरंभ से ही निरक्षर व्यक्तियों को संगठित करने का प्रयास किया जावे तो वे संगठित रूप से अपनी कार्य दक्षताओं को बढ़ाने तथा सामान्य हितों के लिए कार्य करने में सक्षम हो सकेगें। अतः बुनियादी साक्षरता स्तर प्राप्त होने के बाद नवसाक्षर एक सहज कडी के रूप में ज्यादा सक्षम तरीके से एवं बेहतर रूप में सतत शिक्षा की प्रकिया में जायेंगें । पढ़ना बढ़ना आन्दोलन में बनी पढ़ना बढ़ना समितियॉ ही सतत शिक्षा में नवसाक्षर समूहों के रूप में सुदृढ़ बनेंगी,तथा यह भी संभव है कि ये समितियॉ स्वसहायता समूह (Self-help group) के रूप में विकसित होकर लाइब्रेरियों को चलाने,उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच बनाने तथा उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की जबावदारी भी ले सकेगी। इस प्रकार नवीन रणनीति में पढ़ना–बढ़ना समिति में संपूर्ण साक्षरता व उत्तर साक्षरता के चरणों को एकीकृत किया गया है।

नवीन रणनीति का प्रभाव सतत शिक्षा कार्यक्रम के स्वरूप पर भी पड़ेगा । उत्तर साक्षरता प्रवेशिका भाग–1 को पढ़ाने का कार्य सतत शिक्षा काग्रक्रम के प्रथम छः माह में किया जायेगा तथा उक्त कार्य का दायित्व सतत शिक्षा कार्यक्रम में प्रावधानित सतत शिक्षा केन्द्रों के प्रेरक एवं सहायक प्रेरकों का होगा । यह भी प्रयास किया जा रहा है कि राज्य स्तर पर खुली मूल्यांकन प्रथा (ओपन स्कूल के समानं) विकसित की जाये जिससे प्रत्येक नवसाक्षर को जीवन पर्यन्त सतत शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ।

गतिविधि कैलेण्डर

क्रं	गतिविधि	दिनांक तक पूर्ण	नोडल एजेंसी
1.	शिक्षा ग्राम सभा(प्रत्येक गांव में) पढ़ना बढ़ना आन्दोलन का प्रचार प्रसार	15–30 अक्टूबर 99	राज्य शिक्षा मिशन, जिला शिक्षा केन्द्र जनपद शिक्षा केन्द्र , जनशिक्षा केन्द्र
2.	पढ़ना बढ़ना समिति का गठन व मांग पत्र जन शिक्षा केन्द्र को भेजना ।	5 नवम्बर ,99	गुरूजी
3.	जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी द्वारा निरक्षर व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	15 नवम्बर ,99	जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी
4.	सामग्री कय / मुद्रण कार्यवाही	1 नवंबर से 30 नवंबर	जिला शिक्षा केन्द्र
5.	जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी द्वारा मांग पत्र स्वीकृति की सूचना देना	30 नवम्बर ,99	जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी
6.	गुरूजी का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण	1दिसम्बर,99 से 15 दिसम्बर99 तक	जिला शिक्षा केन्द्र
7.	साक्षरता कक्षाओं का आरंभ होना	15दिसम्बर ,99	गुरूजी
8.	साक्षरता कक्षाओं का संचालन	15 दिसम्बर, 99 से 30 अक्टूबर, 2000	जन शिक्षा केन्द्र के मार्गदर्शन में गुरूजी
9..	अंतिम मूल्यांकन	15–18 दिसम्बर 2000	जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्मित शैक्षिक समिति के मार्गदर्शन में जन शिक्षा केन्द्र
10..	अंतिम मूल्यांकन की जानकारी का /जिला शिक्षा केन्द्र /जिला राजीव गांधी शिक्षा मिशन को प्रेषण	25 दिसम्बर 2000 तक	जनशिक्षा केन्द्र
11	जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त गुरूदक्षिणा का वितरण	25 से 31दिसम्बर.2000 तक	नवसाक्षरों द्वारा गुरूजी को (पढ़ना बढ़ना समिति के मार्गदर्शन में)

परिशिष्ट 'अ'

1. जिला.—————————— 2. जनपद का नाम ——————————
3. जनशिक्षा केन्द्र का नाम——————— 4. पंचायत का नाम ——————————
5. बसाहट व ग्राम का नाम—————————6. शिक्षक/गुरूजी का नाम..............................

निरक्षरों की जानकारी :— दिनांक——————

क्र0	पढ़ना बढ़ना समिति के सदस्यों के नाम	पिता / पति का नाम	उम्र	निरक्षर/ अर्धसाक्षर	दस्तखत/अंगूठा
कुल					

हमारे गांव में उक्त पढ़ना बढ़ना समिति के सदस्य साक्षर होना चाहते हैं अतः हम हमारे गांव—————— बसाहट——————में साक्षरता कक्षा शुरू करना चाहते हैं। इस साक्षरता कक्षा का संचालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

गुरूजी के हस्ताक्षर

नाम

प्रति,

जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी
जनशिक्षा केन्द्र ———
विकासखंड—————

प्रतिलिपिः—

ग्राम शिक्षा समिति की ओर सूचनार्थ।

परिशिष्ट 'ब'

जन शिक्षा केन्द्र व्दारा प्रमाणित प्रतिवेदन

1. जिले का नाम———————— 2. जनपद का नाम————————————

3. जनशिक्षा केन्द्र का नाम————————————

शाला का स्थान (ब्लाहटएवं पंचायत)	गुरूजीका नाम जो साक्षरता कक्षायें संचालित करेगा	मांग पत्र में दर्शाये गये निरक्षरों की संख्या	जांच अनुसार वास्तविक निरक्षर संख्या	जांचकर्त्ता टीम की टीप/ अनुशंसा

जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी का नाम व हस्ताक्षर **टीम के सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर**

दिनांक————————

प्रति,

1. जिला शिक्षा केन्द्र
   जिला ————————————
2. जनपद शिक्षा केन्द्र
   जिला ————————————

परिशिष्ट "स" (i)

मासिक जानकारी पपत्र

1. ग्राम बसाहट का नाम ---------- 2. माह का नाम ----------

3. पंचायत का नाम ---------- 4. जन शिक्षा केन्द्र का नाम ----------

5. गुरूजी का नाम ----------

क्रं	निरक्षर का नाम	पिता का नाम	उम्र	माह में उपस्थिति	पठन–पाठन की स्थिति		
					अध्ययनरत		
					प्रवेशिका–1	प्रवेशिका–2	प्रवेशिका–3
1	2	3	4	5	6	7	8

पठन–पाठन की स्थिति			सतत् मूल्यांकन की स्थिति					
प्रवेशिका पूर्ण			प्रथम		द्वितीय		तृतीय	
प्रवेशिका–1	प्रवेशिका–2	प्रवेशिका–3	दिनांक	परिणाम (दक्ष संख्या)	दिनांक	परिणाम (दक्ष संख्या)	दिनांक	परिणाम (दक्ष संख्या)
9	10	11	12	13	14	15	16	17

परिशिष्ट ''स'' (ii)

संकलित प्रतिवेदन

जन शिक्षा केन्द्र विकासखण्ड जिले का नाम ----------

माह का नाम ----------

क्रं	पंचायत का नाम	गुरूजी की संख्या		प्रमाणीकरण उपरांत निरक्षर संख्या			माह में उपस्थिति		
		प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

पठन – पाठन की स्थिति								
अध्ययनरत संख्या								
प्रवेशिका–1			प्रवेशिका–2			प्रवेशिका–3		
पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
11	12	13	14	15	16	17	18	19

पूर्ण करने वालों की स्थिति								
प्रवेशिका–1			प्रवेशिका–2			प्रवेशिका–3		
पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
20	21	22	23	24	25	26	27	28

सतत मूल्यांकन की स्थिति					
पथम		द्वितीय		तृतीय	
कुल सम्मिलित	परिणाम (दक्ष संख्या)	कुल सम्मिलित	परिणाम (दक्ष संख्या)	कुल सम्मिलित	परिणाम (दक्ष संख्या)
29	30	31	32	33	34

परिशिष्ट 'द'

मूल्यांकन अभिलेख

जन शिक्षा केन्द्र का नाम

1. ग्राम का नाम---------- 2.बसाहट का नाम----------
3. जनपद का नाम---------- 4.पंचायत का नाम----------
5. गुरूजी का नाम----------

निरक्षर का नाम	पिता का नाम	उम्र	सतत मूल्यांकन			
			प्रथम			
			प्राप्तांक			
			पढ़ना (40)	लिखना (30)	गणित (30)	कुल (100)
1	2	3	4	5	6	7

सतत मूल्यांकन							
द्वितीय				तृतीय			
पढ़ना (40)	लिखना (30)	गणित (30)	कुल (100)	पढ़ना (40)	लिखना (30)	गणित (30)	कुल (100)
8	9	10	11	12	13	14	15

मूल्यांकन परिणाम		अन्तिम मूल्यांकन			
दक्ष/साक्षर	यदि पूर्ण दक्ष/साक्षर नहीं है तो किस दक्षता में पुनः अभ्यास कराने की आवश्यकता है ?	प्राप्तांक			
		पढना (40)	लिखना (30)	गणित (30)	योग(100)
16	17	18	19	20	21

प्रत्येक विषय (पढ़ना लिखना एवं गणित) में कम से कम पचास प्रतिशत अंक तथा कुल 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही दक्ष/साक्षर माना जावेगा ।

अन्तिम मूल्यांकन दिनांक	मूल्यांकन दल के सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर	ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
1	2	3

कुछ सवाल – जवाब

1. इस रणनीति में नई बात क्या है ?

इसमें निरक्षर व्यक्तियों को शुरू से ही संगठित करने पर जोर दिया गया है । संगठनात्मकता का भाव जिले स्तर की अपेक्षा गांव स्तर पर पढ़ना बढ़ना समिति के रूप में व्यक्त किया गया है । इसमें सम्पूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा की धारावाहिक कड़ी के स्थान पर यह कोशिश की गई है कि साक्षरता कार्यक्रम के इन तीन पहलुओं के महत्वपूर्ण आयामों को शुरू से ही एकीकृत किया जाये जिससे कि इनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ सके इसीलिये इस रणनीति में शुरू से ही नवसाक्षरों को संगठित करना महत्वपूर्ण माना गया है। इन पढ़ना बढ़ना समिति के आधार पर उत्तर साक्षरता के अंतर्गत आने वाली जीवनोपयोगी दक्षताएं एवं अवसर को जोड़ा जा सकता है तथा सतत शिक्षा में परिकल्पित पुस्तकालय भी अंततः पढ़ना बढ़ना समिति के आधार पर विकसित किये जा सकते है ।

इस रणनीति में गुरूजी और निरक्षर व्यक्तियों के बीच लगाव और आत्मीयता की भावना जागृत करने के उद्धेश्य से निरक्षर व्यक्तियों के पढ़ना बढ़ना समिति को ही अपने गुरूजी का चयन करने का अधिकार दिया गया है। गुरूजी को कार्यक्रम का मुख्य बिन्दु माना गया है इसलिये उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिये सम्मान स्वरूप में गुरूजी को गुरू दक्षिण देने का प्रस्ताव रखा गया है। इन समस्त कार्यक्रम से जुड़े बाकी सब इकाईयों और व्यक्तियों को गुरूजी की प्रेरणा और समर्थन का माध्यम ही माना गया है इसलिये यह प्रयास किया गया है कि कार्यक्रम में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वह गुरू दक्षिणा, गुरूजी प्रशिक्षण एवं अकादमिक समर्थन के लिये उपयोग किया जाये ।

इस रणनीति में साक्षरता कार्यक्रमो को एक अलग कार्यक्रम न मानकर शिक्षा से जुड़े सभी कार्यक्रमों और संसाधनों का महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है इसलिये अलग से साक्षरता कियान्वयन ढांचा निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा करने से साक्षरता कार्यक्रम बाकी सब कार्यक्रमों से पृथक हो जाता है ।

2. जिला साक्षरता समिति की क्या भूमिका होगी ?

जिला साक्षरता समिति द्वारा अब तक साक्षरता अभियान का संचालन किया जा रहा था। अब पढ़ना बढ़ना आंदोलन की नवीन रणनीति का क्रियान्वयन किया जाना है इसके क्रियान्वयन में पढ़ाने वाले गुरूजी एवं निरक्षर मुख्य केन्द्र बिन्दु है। पढ़ना बढ़ना आंदोलन रणनीति में साक्षरता कार्यक्रमों को एक अलग कार्यक्रम न मानते हुए शिक्षा से जुड़े सभी कार्यक्रमों और संसाधनों का महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है। इसलिए अलग से साक्षरता कियान्वयन ढ़ॉचा निर्मित करने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि ऐसा करने से साक्षरता कार्यक्रम बाकी सब कार्यक्रमों से पृथक हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि साक्षरता हेतु पृथक से कोई ढॉचा नहीं होगा नहीं कारण है कि पढ़ना बढ़ना आंदोलन की रणनीति में निहित मदों में कहीं भी कार्यालयीन प्रशासनिक,मॉनिटरिंग, पी0ओ0एल0 मद में राशि का प्रावधान नहीं है। अतः जिला साक्षरता समिति में पृथक से मानदेय पर अमले को कार्य पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उपलब्ध

संसाधन अत्यंत सीमित है और हमें उन्हीं से कार्य करना है तथा हम निरक्षर व गुरूजी पर ध्यान केन्द्रित कर उपलब्ध राशि को गुरूदक्षिण के रूप में देना चाहते हैं।

नवीन रणनीति के क्रियान्वयन के लिए आगामी आदेश तक वर्तमान जिला साक्षरता समिति का कार्यालय रहेगा।

जिला साक्षरता समिति के बैंक खातों का संचालन पूर्ववत ही उसके रजिस्ट्रेशन नियमों के अनुरूप होता रहेगा तथा क्रय व मुद्रण की कार्यवाही हेतु जिला साक्षरता समिति द्वारा तये की गई प्रक्रिया अनुसार ही कार्यवाही करें किन्तु मितव्ययता तथा पारदर्शिता का ध्यान रखा जाये।

3. साक्षरता से जुड़े वर्तमान में मानदेय प्राप्त पूर्णकालिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी ?

साक्षरता से जुड़े पूर्णकालिक कार्यकर्ता – जो वर्तमान मे मानदेय प्राप्त कर रहे है। वस्तुतः सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में सबसे प्रेरित और उत्साही व्यक्ति है । अभी तक ये व्यक्ति केवल साक्षरता कार्यक्रम की व्यवस्था/देख–रेख में ही संबद्ध रहे हैं , जबकि अब नई रणनीति में साक्षरता का सबसे महत्वपूर्ण काम– निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने के काम को वे अपना सकते है और अपनी उत्साही भूमिका केवल प्रेरक अथवा प्रबंधक के रूप में नहीं, किन्तु सबसे गरिमामयी यानी की सीधे साक्षरता शिक्षक के रूप में निभा सकते है।

4. पढ़ना बढ़ना आंदोलन का उत्तर साक्षरता अभियान से समन्वय किस तरह होगा?

पढ़ना बढ़ना आंदोलन की रणनीति की पुस्तिका का अवलोकन कीजिएगा। जिसमें साक्षरता अभियान के दो चरणों में कियान्वयन का उल्लेख है। (1) पढ़ना बढ़ना आंदोलन (2) सतत शिक्षा अभियान। नवीन रणनीति में पढ़ना बढ़ना समिति में संपूर्ण साक्षरता व उत्तर साक्षरता के चरणों को एकीकृत किया गया है।

इस कार्यक्रम के साथ उत्तर साक्षरता का मांपिग अप (Mopping up) वाला कार्यक्रम है, वह इस रणनीति के अनुसार चलेगा क्योंकि इसमें व्यक्ति शामिल होगें जो कि प्राइमर–3 में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं किन्तु उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम यदि नवसाक्षर व्यक्तियों को पी.एल.प्राइमर पढ़ा रहा है तो वह काम प्रचलित उत्तर साक्षरता रणनीति के अनुसार जारी रहेगा । सतत शिक्षा कार्यक्रम जैसा चल रहा है, जारी रहेगा । यह प्रयास किया जायेगा कि जहां उत्तर साक्षरता चल रहा है । उसको सतत शिक्षा कार्यक्रम के साथ समाविष्ट किया जाये जिससे कि पी.एल.–1 के पढ़ने का काम सतत शिक्षा का कार्यक्रम के साथ उसकी शुरूआत की गतिविधि के तहत शामिल किया जाये । इसके लिये पी.एल. प्राइमर पढ़ने के काम में जो जिले लगे हुए हैं, वे अपने जिलों के लिये सतत शिक्षा कार्यक्रम की परियोजना बनाना प्रारंभ करेगें जिससे कि पी.एल. प्राइमर–1 काम धीरे–धीरे सतत शिक्षा परियोजना की स्वीकृति के साथ शामिल किया जा सके।

वर्तमान में जिन जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान स्वीकृत है या संचालित है उनमें भी लक्ष्य का 40 से 70 प्रतिशत् निरक्षर शेष है,जिन्हें साक्षर किया जाना है। इन निरक्षरों के लिए पढ़ना बढ़ना

आंदोलन चलाना होगा। अतः यह आवश्यक होगा कि उत्तर साक्षरता में सिर्फ पी0एल0–1 की पढ़ाई हेतु ही राशि व्यय करें। अन्य मदों में व्यय नहींकरें,क्योंकि इस राशि का उपयोग जिले के शेष निरक्षरों को पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के तहत साक्षर करने हेतु किया जाना है।

5. क्या यह रणनीति सतत शिक्षा वाले जिलों में भी लागू की जायेगी ?

सतत शिक्षा अभियान का उद्देश्य लोगों को सतत रूप से शिक्षित होने का अवसर देना है । एक ओर तो सतत शिक्षा की बात करे तथा दूसरी ओर लोग बुनियादी साक्षरता से वंचित रहे तथा हम उनकी साक्षरता की मांग को अस्वीकार करे तो इससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि सतत शिक्षा वाले जिलो में लोग बुनियादी साक्षरता से वंचित रह गये है तथा वास्तव में निरक्षर है तो उन्हें बुनयादि साक्षरता प्रदान करना जिले की प्राथमिकता होनी चाहिए। पढ़ना–बढ़ना समितियॉ साक्षर होने की माँग करती है तो माँग के आधार पर उन्हें साक्षर करने के लिए आवश्यक राशि का व्यय जिला सारक्षता समिति अपने सतत शिक्षा के बजट में से ही करेगी इसके लिए पृथक से राज्य शासन द्वारा राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

6. जो जिले बाह्य मूल्यांकन के स्तर पर है वे क्या करें ?

जो जिले बाहय मूल्याकंन के स्तर पर है। तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा बाह्य मूल्यांकन के लिये ऐजेंसी का पेनल नियुक्त कर दिया गया है। वे बाह्य मूल्याकंन हेतु आवश्यक व्यय कर सकते हैं तथा बाह्य मूल्याकंन की कार्यवाही पूर्ण करें। साथ ही पढ़ना बढ़ना आंदोलन का भी संचालन करेगें।

7. ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका होगी ?

समस्त कार्यकम ग्राम पंचायत के नेतृत्व ,प्रेरणा और मार्गदर्शन में संचालित होगा । ग्रम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । वे निरक्षरों को पढ़ना बढ़ना समिति के रूप में संगठित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभायेगी । गांवों में पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के व्यापक प्रचार–प्रसार की जिम्मेदारी स्थानीय ग्राम पंचायतों की होगी । ग्राम पंचायतें पढ़ना–बढ़ना समिति की साक्षरता कक्षाओं की नियमित देखरेख भी करेगी । साथ ही गुरूजी के समक्ष कक्षा संचालन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से किया जायेगा । ग्राम पंचायत इस आंदोलन में अपनी महत्ती भूमिका निभाते हुये ग्राम शिक्षा समिति/ वार्ड समिति/ पढ़ना–बढ़ना समिति को यथासंभव हर तरह का सहयोग प्रदान करेंगीं ।

8. गैर डी.पी.ई.पी. जिलों में जन शिक्षा केन्द्र की जगह क्या होगा ?

डी.पी.ई.पी. जिलों में पूर्व से ही संकुल केन्द्र स्थापित है जो अब जन शिक्षा केन्द्रों के नाम से जाने जायेगें। इन केन्द्रों को साक्षरता के संसाधनों से भी सुदृढ़ किया जायेगा । गैर डी.पी.ई.पी. जिलों में भी जन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जानी होगी । तात्कालिक रूप से इसकी शुरूआत 10–15 प्राथमिक/ई.जी.एस. शालाओं का संकुल बनाकर निकटतम प्राथमिक/माध्यमिक शाला को जन शिक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित कर उस शाला के प्रधानाध्यापक की जन शिक्षा प्रभारी के रूप में नामांकित कर की जाये।

9. क्या 15–50 आयुवर्ग के निरक्षरों का सर्वेक्षण किया जाये ?

जिले में 15–50 आयुवर्ग के निरक्षरों का सर्वेक्षण नहीं किया जाना है। पढ़ना–बढ़ना आंदोलनसाक्षरता की मांग पर आधारित आंदोलन है। मांग आने पर पढ़ना–बढ़ना समिति के सदस्यों की वास्तविक निरक्षरता की जॉच के प्रमाणीकरण की व्यवस्था आंदोलन की प्रकिया में निहित है। अतः 15 से50 वर्ष आयुवर्ग के सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

10. निरक्षर किसको माना जायेगा ?

ऐसे निरक्षर व्यक्ति जो अभी तक चल रही साक्षरता मैं शामिल नहीं हुए हैं अथवा शामिल होकर ड्रापआउट हो गये है । वर्तमान में पूर्णतः निरक्षर अथवा ऐसे व्यक्ति जो साक्षरता कक्षाओं में शामिल होने के पश्चात प्राइमर–3 में जो उत्तीर्ण न हो पाये हो।

11. निरक्षरों का प्रमाणीकरण कैसे होगा ?

पढ़ना बढ़ना आन्दोलन में मांगपत्र प्राप्ति के बाद निरक्षरों की वास्तविक निरक्षरता का प्रमाणीकरण किया जाता है । इस आन्दोलन में समुदाय द्वारा अपनी साक्षरता के लिये मांगपत्र प्रस्तुत की जाती है। एक तरफ तो समुदाय द्वारा मांग प्रस्तुत करना आन्दोलन का महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि इसमे संपूर्ण साक्षरता में छूटे हुए निरक्षर तथा अर्द्व साक्षरों की पहचान का काम सरल हो जाता है । दूसरी ओर यह कठिनाई भी उत्पन्न हो सकती है कि कुछ ऐसें व्यक्ति भी जो पूर्व से ही साक्षर है पढ़ना बढ़ना समिति की मांगपत्र में सम्मिलित हो सकते है और कुछ जगह गलत मांग भी आ सकती है क्योंकि इस आन्दोलन में गुरूजी को उसके द्वारा साक्षर किये गये व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 100/– रूपये प्रति साक्षर के मान से गुरूदक्षिणा का प्रावधान है । अतः गलत मांग की सही छानबीन करना व उसे निरस्त करना इस अभियान की सफलता के लिये अति आवश्यक है अन्यथा उपलब्ध संसाधन सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पायेगें । अतः यह जरूरी है कि मांगपत्र की जांच बहुत बारीकी से व पारदर्शी तरीके से की जाये। मांगपत्र की सही जांच को सर्तकता से करने की पूर्ण जिम्मेदारी जिला साक्षरता समिति की होगी ।

प्रमाणीकरण की प्रकिया का उल्लेख पढ़ना बढ़ना आन्दोलन की पुस्तिका के पृष्ठ कमांक –5 पर किया गया है। मांगपत्र की जांच का कार्य जिलों में संकुल केन्द्र जिसे जन शिक्षा केन्द्र के नाम से जाना जायेगा का जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी अपने स्तर से एक टीम का गठन करेगा जिसमें पास की प्राथमिक शाला का शिक्षक ग्राम शिक्षा समिति/शाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष, स्थानीय पंच/स्थानीय पार्षद तथा स्थानीय शिक्षक/ गुरूजी सम्मिलित होगें । यह टीम मांगपत्र में उल्लेखित निरक्षरों की जाचं करेगी कि वे वास्तव में निरक्षर है या नही ? टीम में पास के गांव से एक व्यक्ति को अनिवार्यतः रखा जायेगा।

मांगपत्र में उल्लेखित निरक्षरों का प्रमाणीकरण वैसे तो जिला साक्षरता समिति के पास उपलब्ध रिकॉर्ड से भी किया जा सकता है । इसकी जानकारी स्थानीय स्तर पर साक्षरता के स्वंयसेवकों कार्यकर्ताओं के पास भी होगी तथापि यह जरूरी है कि पुनः प्रमाणीकरण (Fresh verification)

किया जाये । इस प्रमाणीकरण के लिये प्रवेशिकाओं में उपलब्ध जांचपत्रों का उपयोग किया जा सकता है । प्रवेशिका–3 के सबंसे अन्त में दिये गये टी–9 जांचपत्र के माध्यम से व्यक्ति निरक्षर है या नहीं ? यह आसानी से जाना जा सकता है ।

12. निरक्षरों को अभिप्रेरित कौन करेगा?

पढ़ना–बढ़ना आंदोलन का प्रचार–प्रसार शासकीय अमले के माध्यम से किया जावेगा। इससे पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन से जुड़ने हेतु प्रेरित होगें। यही प्रेरित व्यक्ति निरक्षरों को तैयार कर उनकी समिति के गठन की कार्यवाही करेगें। इसके लिये मिशन समन्वयक राजीव गांधी मिशन्स के अर्द्वशासकीय पत्र के माध्यम से विस्तृत रणनीति भिजवार्यः गई है।

13. पढ़ना बढ़ना समिति क्या है, इसे कौन गठित कर सकता है ?

पढ़ने लिखने के इच्छुक निरक्षर व्यक्तियों का समूह जो साक्षर होने के लिए माँग प्रस्तुत करता है पढ़ना–बढ़ना समिति के नाम से जाना जायेगा। पढ़ने लिखने के इच्छुक व्यक्ति स्वयं पढ़ना बढ़ना समिति का गठन करेंगे।

14. क्या पूर्व से गठितअन्य समूहों को पढ़ना बढ़ना समिति के रूप में माना जा सकता है ?

योजना के पृष्ठ कं0/2 पर यह लेख किया गया है कि–पूर्व से अन्य उद्देश्यों के लिए गठित समूह भी पढ़ना बढ़ना समिति के रूप में कार्य कर सकते है। अत पूर्व से गठित सहायता समूहों को पढ़ना बढ़ना आंदोलन के तहत पढ़ना बढ़ना समिति माना जा सकता है। किन्तु सिर्फ इन समूहों में ही पढ़ना बढ़ना आंदोलन नहीं चलाया जावें बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी पढ़ना बढ़ना आंदोलन के तहत पढ़ना बढ़ना समिति का गठन करने एवं साक्षर होने हेतु प्रेरित करें।

15. गुरूजी कौन होगा तथा गुरूजी का चयन कैसे होगा ?

पढ़ना बढ़ना समिति समुदाय में से किसी स्थानीय व्यक्ति को अपना गुरूजी चुन सकेगी। कोई भी योग्य स्थानीय शिक्षित व्यक्ति (कम से कम आठवी पास) गुरूजी हो सकता है जिसमें शिक्षा गांरटी शाला का गुरूजी, स्थानीय स्कूल के शिक्षक, पूर्व साक्षरता कर्मी, सेवानिवृत्त व्यक्ति आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकमों के कार्यकर्ता जैसे मलैरिया कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य रक्षक, वन विकास कार्यकर्ता या कोई भी मैदानी कार्यकर्ता, नवयुवक युवती सम्मिलित हैं, हो सकता है। ऐसे स्थान जहॉ आठवी पास व्यक्ति उपलब्ध न हो वहॉ पर इस शैक्षणिक योग्यता में जनशिक्षा केन्द्र द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिथिलता दी जा सकती है।

16. गुरूजी का प्रशिक्षण कैसे व कहॉ होगा ?

गुरूजी का प्रशिक्षण कुल 7 दिवस का होगा जिसमें 3 दिवस का आरंभ में, प्रथम प्रवेशिका के बाद 2 दिक्स का तथा द्वितीय प्रवेशिका के बाद 2 दिवस का प्रशिक्षण होगा। यह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जायेगा। गुरूजी का प्रशिक्षण संकुल/पंचायत स्तर पर ही किया जाना चाहिए ताकि इनकी मार्ग व्यय इत्यादि पर अनावश्यक व्यय न हो । जिले में पिछले दो–तीन वर्षो से कार्य हो रहा है। अतः प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर व स्त्रोत व्यक्ति उपलब्ध होगें उनके पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है किन्तु गुरूजी के प्रशिक्षण के पूर्व मास्टर ट्रेनर व स्त्रोत व्यक्ति का भी नवीन रणनीति के संदर्भ में उन्मुखीकरण अवश्य कर लें । मास्टर ट्रेनर व स्त्रोत व्यक्ति के उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण की राशि भी गुरूजी प्रशिक्षण मद में ही सम्मिलित है।

17. सामग्री की व्यवस्था कैसे होगी ?

मांग अनुसार निरक्षरों की संख्या के आधार पर सामग्री के क्रय एंव मुद्रण की व्यवस्था जिला स्तर पर की जायेगी । आन्दोलन के आरंभ के साथ ही सामग्री के क्रय एवं मुद्रण की कार्यवाही आरंभ कर दी जानी चाहिए । क्रय एवं मुद्रण की प्रकिया (टेन्डर इत्यादि बुलाने की) 5 नबंवर तक पूर्ण कर ली जानी चाहिए। पढ़ना बढ़ना समिति का गठन व मांगपत्र जन शिक्षा केन्द्र तक 5 नबंवर तक पहुंच जायेगें । इनकी संकलित जानकारी जिला स्तर को 6 नबंवर को विशेष वाहक से मंगवाकर वास्तविक मांग अनुसार क्रय आदेश जारी किये जाने चाहिए ताकि सामग्री हर स्थिति में 25 नबंवर तक जिलें को प्राप्त हो जाये व गुरूजी के प्रशिक्षण के समय वितरित की जा सके ताकि गुरूजी प्रशिक्षण उपरान्त ग्राम में जाकर साक्षरता कक्षा आरंभ कर सके।

18 रात्रिकालिन साक्षरता कक्षा के लिए प्रकाश व्यवस्था कहॉ से होगी ?

पढ़ना–बढ़ना समिति के सदस्य व गुरूजी आपसी समन्वय से अपनी व्यवस्था अनुसार प्रकाश व्यवस्था कर सकते है। वैसे भी पढ़ना बढ़ना आन्दोलन के बजट में इसका प्रावधान नहीं है ।

19. मासिक समीक्षा बैठक में सम्मिलित होने के लिए गुरूजी की आवागमन की क्या व्यवस्था होगी ?

जिलों में 10–12 शालाओं पर एक संकुल केन्द्र स्थापित है,या किए जा रहे है। जहॉ अनुभव आदान–प्रदान की मासिक समीक्षा बैठक होगी। इस हेतु गुरूजियों के मार्ग व्यय/अल्पाहार की व्यवस्था पृथक से नहीं की जानी है। आंदोलन से जुड़ने वाले गुरूजी को स्वयं की व्यवस्था से बैठक में सम्मिलित होना होगा। आन्दोलन की रणनीति इसके लिये कोई बजट प्रावधान नहीं है ।

20. मूल्यांकन कैसे किया जायेगा ?

नई रणनीति में हर व्यक्ति का मूल्यांकन होगा । जबकि पुरानी रणनीति में केवल सेम्पल का मूल्यांकन होता था जिसके आधार पर पूर्णता का आंकलन होता था। नई रणनीति में हर व्यक्ति के साक्षर होने पर

शत प्रतिशत मूल्यांकन होगा जो कि पूर्णतः पारदर्शी होगा जिसमें मूल्यांकन के समय स्थानीय लोगों को भी जुड़ा जायेगा।

21. पढ़ना बढ़ना आंदोलन के लिए पैसा/बजट कहाँ से आएगा ?

पढ़ना बढ़ना आंदोलन का मुख्य केन्द्र शिक्षार्थी (निरक्षर) एवं गुरूजी है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। यही कारण है कि पढ़ना बढ़ना आंदोलन में मुख्य रूप से पठन–पाठन सामग्री,प्रशिक्षण,मूल्यांकन एवं गुरूजी के लिए गुरूदक्षिणा मदों में ही राशि के व्यय का प्रावधान है। इस आंदोलन में सिर्फ आवश्यक मदों में ही खर्च किया जाना है। जिसकी प्रतिव्यक्ति लागत मात्र 138 रूपये है। जो लगभग संपूर्ण साक्षरता अभियान व उत्तर सारक्षता अभियान की कुल परियोजना लागत के समकक्ष है।

यदि हम पूर्व साक्षरता रणनीति की उपलब्धि के आधार पर संपूर्ण साक्षरता अभियान में व्यय राशि में प्रवेशिका ।।। पूर्ण करने वालों की संख्या के आधार पर प्रतिसाक्षर लागत का आंकलन करें तो संपूर्ण म0प्र0 के संदर्भ में यह राशि 127 रू0 प्रतिसाक्षर आती है। इसमें उत्तर साक्षरता में व्यय की गई राशि भी सम्मिलित कर देंतो वह राशि लगभग 230 रू0 आती है, तथा बाह्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के आधार पर प्रति साक्षर लागत का आंकलन करें तो यह राशि लगभग 400 से 500 रू0 के बीच आती है,जोकि मापदण्डों से बहुत अधिक है।। ऐसी स्थिति में यदि इसी रणनीति के माध्यम से जिले के शेष निरक्षरों को साक्षर किया जावें तो बहुत अधिक राशि की आवश्यकता होगी। जबकि पढ़ना बढ़ना आंदोलन के तहत यह लागत रू0 138 प्रति साक्षर आएगी।

उल्लेखनीय है कि जिलो में शेष निरक्षरों को साक्षर करने हेतु (विमुक्त राशि के विरूद्व) संपूर्ण साक्षरता अभियान मद में तथा उत्तर साक्षरता मद में बहुत कम राशि उपलब्ध है क्योंकि पूर्व में ही अधिक राशि व्यय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि हमें शेष बचे हुए निरक्षरों को साक्षर करना है तो हमें अपने पास उपलब्ध राशि व सामग्री का आंकलन कर उसे पुर्ननियोजित करना होगा। तथा सोचना होगा कि बची हुई राशि पर किसका हक है ? ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प है ? क्या हम बची हुई राशि का पूर्वानुसार ही उपयोग करें या पढ़ना बढ़ना आंदोलन की नवीन रणनीति में उल्लेखित मदों में व्यय कर 138 रू0 में एक व्यक्ति को साक्षर करें, जबकि आयुसीमा 15–50 वर्ष में लक्ष्य और भी अधिक होगा। अतः यदि हमें पढ़ना बढ़ना आंदोलन की रणनीति के अनुसार लोगों को साक्षर करना है तो हमें किफायती तरीके से बजट का उपयोग सुनिश्चित करना होगा व प्रशासनिक कार्यालयीन,आकस्मिक,पी0ओ0एल में राशि का व्यय तुरंत समाप्त करना होगा तथा विद्यमान ढ़ाँचों (शासकीय/डी0पी0ई0पी0) के संसाधनों के माध्यम से नवीन रणनीति का संचालन करना होगा। अतः पढ़ना बढ़ना आंदोलन में निहित मदों के अतिरिक्त अन्य मदों पर व्यय की अनुमति नहीं दी जा सकती।

राज्य शासन के निर्णयानुसार उपलब्ध राशि का उपयोग पढ़ना बढ़ना आंदोलन के तहत निरक्षरों को साक्षर करने हेतु किया जाना है। आपके पास उपलब्ध राशि का उपयोग वर्तमान में प्रशिक्षण,मूल्यांकन एवं पठन–पाठन सामग्री पर ही किया जाना है जिस पर लगभग 38 रू0 प्रति व्यक्ति

व्यय होगा। गुरूजियों द्वारा साक्षर किए जाने के उपरांत साक्षर व्यक्तियों की संख्या के आधार पर रू0 100 प्रतिव्यक्ति के मान से गुरूदक्षिणा की राशि की आवश्यकता लगभग 8–10 माह बाद होगी। अतः जिले में वर्तमान में शेष लक्ष्य के निरक्षरों को साक्षर किया जाना है ।

22. **शेष राशि कहॉ से आयेगी ?**

जिला स्तर पर मांग अनुसार आवश्यकं राशि का आंकलन कर लिया जाना चाहिए जिसमें से जिले में सम्पूर्ण साक्षरता व उत्तर साक्षरता मद में उपलब्ध धनराशि तथा उपलब्ध सामग्री की निकालकर शेष राशि की मांग की जानी चाहिए । यह शेष राशि राज्य शासन द्वारा दी जायेगी ।

23. **नवीन रणनीति के कियान्वयन हेतु क्या भारत शासन ने सहमति दे दी है ?**

भारत शासन द्वारा राज्य को Within general Parameters योजना में परिवर्तन करने की अनुमति पत्र कं0 F.No.18-10/99.d.II (A.E) दिनांक 22.7.99 से दी गई है।

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

बी-3/4 विंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-23

के लिये

म.प्र. माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा आकल्पित एवं मुद्रित